(131)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1351–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–2–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 224/अपील/2015–16.

.....

मो0युनूस आ0श्री मुहिम उल हक द्वारा
मुख्तारआम नादिर रशीद आ0 श्री नवाब जादा
राशिद उल जफर
निवासी श्यामला हिल्स भोपाल ..... आवेदक

विरूद्ध

1–नूर उल हक आ0 श्री निजामुल हक
निवासी जहांगीराबाद भोपाल म0प्र0
2–अहमद अली आ0 श्री फर्रजन अली
निवासी म.नं. 50, जिंसी जहांगीराबाद भोपाल
3–अनीसा बेगम विधवा मौ0जफर खॉ (मृतक)
निवासी 53 थटलापुरा जहॉगीराबाद भोपाल
4–म0प्र0शासन द्वारा नायब तहसीलदार
राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत भोपाल .....अनावेदकगण

श्री अतुल धारीवाल एवं श्री एम0ए0खान, अभिभाषक– आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 लगायत 3

::आ दे श::

(आज दिनांक 29/6/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 13/अ–6/1999–2000 एवं

12/अ–6/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 30–12–1999 के विरूद्ध पृथक–पृथक दोनों अपीलें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों अपीलों में दिनांक 30–9–03 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है और निजी व्यक्तियों के नाम कैसे आयी ? तत्कालीन एवं वर्तमान समस्त अन्तरगृहिताओं से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर जॉच करने हेतु पृथक से प्रकरण दर्ज किये जाने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–2–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी के प्रकरण कमांक 13/अ–6/1999–2000 का बिना अवलोकन किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आयुक्त के समक्ष मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, जो प्रचलन योग्य नहीं होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी, परन्तु उनके द्वारा अपील स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 के पुत्र द्वारा उपस्थित होकर कहा गया कि उसकी मॉ की मृत्यु हो चुकी है और मॉ द्वारा कोई मुख्त्यारआम नियुक्त नहीं किया गया है और ना ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । यह तथ्य अहमद अली एवं अनीसा बेगम के पुत्र के मध्य दुरूभि संधि होना व्यक्त करता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । अपर आयुक्त के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी और उनके द्वारा अभिलेख प्राप्त होने एवं अनावेदकगण को सुनकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र का निराकरण किये जाने का उल्लेख आदेशिका में किया गया है, परन्तु बिना अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र का निराकरण किये

अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । अनावेदक कमांक 1 ने आवेदक को दिनांक 8–4–1998 को मृत होना दर्शाया है, जबकि वह जीवित है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जिस मुख्त्यारनामा के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई थी वह मुख्त्यारनामा ही संदेहास्पद है, इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी को अपील निरस्त करना चाहिये थी । यह भी कहा गया कि जिसे समय अनीसा बेगम द्वारा मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया था उस समय भूमि उनके नाम पर नहीं थी, इसलिये मुख्त्यारनामा ही अवैधानिक एवं शून्यवत् है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित नहीं किया गया था इसलिये उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आुयक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के दो पृथक–पृथक प्रकरणों को एकसाथ Club करके एक ही आदेश पारित किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के दोनों प्रकरणों के तथ्य/भूमि भिन्न–भिन्न हैं । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2016 में केवल अनीसा बेगम से सम्बंधित प्रकरण के तथ्यों की ही विवेचना की गई है । इस प्रकरण के आवेदक मोहम्मद युनुस से सम्बंधित प्रकरण के तथ्यों पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 15–2–2016 को इस प्रकरण के आवेदक मोहम्मद युनुस के प्रकरण में भी लागू करने में त्रुटि की गई है । इस न्यायालय में भी अनावेदक द्वारा अधिकांश बिन्दु केवल अनीसा बेगम के प्रकरण से संबंधित ही उठाये गये हैं, मात्र मुख्त्यारनामे का बिन्दु उठाया है लेकिन इस सम्बंध में उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक

15–2–2016 केवल मोहम्मद युनुस के सम्बंध में निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–9–2003 केवल मो0 युनुस से सम्बन्धित प्रकरण कमांक 42/अपील/2001–02 आदेश दिनांक 30–9–2003 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर